

फैक्स/द्वारा विशेष वाहक।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या : डीजी-चार-102-(01)-2014.

लखनऊ: दिनांक: दिसम्बर 29, 2014

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।**विषय:-** पुलिस कर्मियों की वर्दी निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों की वर्दी निर्धारण के सम्बन्ध में दिनांक: 29-10-2014 को इस मुख्यालय में गठित समिति की आख्या का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं पर वर्दी की उपयुक्तता हेतु सुझाव दिया गया, जिससे मैं सहमत हूँ।

1. पैन्ट:-

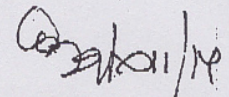
प्रायः देखने में आ रहा है कि पुलिस कर्मियों द्वारा वर्दी की खाकी पैन्ट को नाभि के काफी नीचे से (Low waist) पहना जा रहा है, जो उचित नहीं है, वर्दी की खाकी पैन्ट को मानक के अनुसार नाभि के पास से ही पहना जाये।

2. महिलाओं के लिए वर्दी:-

महिला पुलिस कर्मियों द्वारा सलवार सूट व साड़ी प्लाउज को वर्दी के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा। महिला पुलिस कर्मी पुरुष कर्मियों की भांति खाकी रंग की फुल पैन्ट व बांही मुड़ी हुई खाकी रंग की शर्ट धारण करेंगी। इसी प्रकार जाड़े में खाकी रंग की अंगोला शर्ट व खाकी रंग की फुल पैन्ट धारण करेंगी।

महिला पुलिस कर्मियों के लिए विकल्प के तौर पर ट्यूनिंग धारण करने का प्राविधान प्रस्तावित किया जाता है। ट्यूनिंग में महिलाओं के लिए लॉन्ग शर्ट रहेगी। शर्ट की नाप सामान्यतया सावधान की मुद्रा में दोनों हाथ जहां तक जाते हैं, वहां तक के अनुसार शर्ट की लम्बाई होगी।

उपरोक्त आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू किया जाता है। अतः पारित आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।



(आनन्द लाल बनर्जी)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार पुलिस गजट में तत्काल अधिसूचित करावें।